उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking) CIN: U40101UP2004SGC028687

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक –77 / पी0टी0सी0एल / लेखा–1 दिनांक–16.4.2015

उप मुख्य लेखाधिकारी,
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारेषण),
उ0प्र0पा0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
पारेषण पूर्व / पारेषण मध्य / पारेषण दक्षिण / पारेषण पश्चिम,
इलाहाबाद / लखनऊ / आगरा / मेरठ।

उप मुख्य लेखाधिकारी (नि0प्र0),
उ0प्र0पा0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषयः– लेखों में ऋणात्मक प्रविष्टियों (Negative Entries) की विद्यमान प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 18.12.2014 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में टैली सिस्टम पर लेखा तैयार किए जाने में आ रही बाधाओं / समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित बैठक में अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–227 / सी0ए0ओ0–एन0सी0ए0 / 6 / 84 दिनांक 28.02.86 में बिन्दु 07 पर विशिष्ट परिस्थितियों में निहित ऋणात्मक प्रविष्टियों (Negative Entries) के लेखांकन सम्बन्धी निम्नवत प्राविधान किए गये हैः–

"The concept of minus bookings is not in accordance with commercial accounting practice. Hence its scope shall be limited to only correction of mistake, which will be passed by minus debit or credit to relevant account code. All other regular transitions shall be recorded by debit or credit to the relevant account code".

उपरोक्त प्राविधानो का अनुपालन विशिष्ट परिस्थितियों (Limited to only correction of mistake) में न होकर सामान्यतः यह एक नियमित प्रक्रिया के रूप में इकाई स्तर पर किया जाने लगा है जिसे वाणिज्यिक लेखीय प्रक्रिया के अनुसार उचित नही कहा जा सकता है। अतएव उक्त प्रक्रिया को समाप्त करते हुए Commercial Accounting Practice के अनुसार लेखीय प्रविष्टियों की गलतियों (Mistakes) को सुधारने हेतु संशोधित प्रविष्टियां (Correction Entries) डेबिट / क्रेडिट करके डाली जाए अर्थात् अब वर्तमान में Limited to only correction of mistake सम्बन्धी Minus Debit Entry/Minus Credit Entry के सन्दर्भित परिषदादेश में निहित प्राविधान के अनुसार की जा रही लेखांकन की प्रक्रिया को लागू न रखा जाए। कृपया तदनुसार अधीनस्थ इकाईयों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए लेखो में तदनुरूप लेखांकन प्रक्रिया का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

D. Parthy Sarma EE 22.4.15

पत्रांक –77 / पी0टी0सी0एल / लेखा–1 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को यू0पी0पी0टी0सी0एल0 के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एस0के0 अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)